# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2022 दायर दिनांकः 01.02.2022

उनवान

1. तोफानसिंह पि. मांगुसिंह जाति राजपूत नि. सांगरिया तहसील सुनेल

----वादी

बनाम

1. रोड़ुलाल पि. भागीरथ जाति गुर्जर नि. सांगरिया तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

----प्रतिवादीगण

**<u>दावा धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट</u>**

**उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—**

अभिभाषक वादी :— श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादीगण :— एकतरफा

## निर्णय

दिनांक : 01.07.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल मे खाता संख्या—181 का खसरा नम्बर—682 रकबा 1.4923 हैक्टेयर आराजी है जो वादी के खातेदारी मे आराजी है। यह कि वाद के पैरा नम्बर—1 में वर्णित आराजी वादी के खाते की आराजी है जिस पर प्रतिवादी ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। वादी ने प्रतिवादी को कब्जा छोडने के लिये कहा तो मना कर दिया और लडाई झगडे पर आमादा हुआ इसलिए वादी को यह वाद माननीय न्यायालय में पेश करना पड रहा है। यह कि ग्राम सांगरिया की उपरोक्त आराजी जिसका विवरण वाद के पैरा नम्बर—1 में अंकित है। वादी के खातेदारी की होने की वजह से वादी प्रतिवादी से उसके खातेदारी की आराजी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि प्रतिवादी ने [illegible] की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है। इसलिए वादी [illegible]ग्रस्त आराजी पर रिसिवर नियुक्त करवाने का अधिकारी हो[illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



Scanned with OKEN Scanner

स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि वाद कारण दिनांक–24.12.2021 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादी से वादी के खातेदारी की आराजी पर से कब्जा छोडने के लिये कहा और उसने मना कर दिया तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बाहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिकी पारित की जावे।

(अ) ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल मे खाता संख्या–181 का खसरा नम्बर–682 रकबा 1.4923 हैक्टेयर आराजी का वादी को प्रतिवादी संख्या–1 से प्रतिवादी संख्या–2 के माध्यम से मौके पर कब्जा दिलवाया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर विवादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या–2 को रिसिवर नियुक्त किया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायतां जो वादी के पक्ष मे हो दिलवाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 09.05.2024 के अनुसार उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 2 का जवाब अवसर बंद किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सांगरिया के खाता सं. 181 की जमाबंदी सं. 2071–74 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2, खसरा नक्शा दिनांक 22.01.2022, खाता सं. 181 की जमाबंदी सं. 2071–74 प्रदर्श 3 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में तोफानसिंह पि. मांगूसिंह, दशरथसिंह पि. अभयसिंह, गोपालसिंह पि. मोहनसिंह PW-1 to 3 के शपथपत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादी एवं पेरोकार [illegible] की बहस सुनी एवं अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल मे खाता संख्या 181 का खसरा नम्बर 682 रकबा 1.4923 हैक्टेयर भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादी खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने अवैध रूप से बिना किसी हक व अधिकारी के अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जब वादी ने प्रतिवादी को कब्जा छोडने के लिये कहा तो मना कर दिया और लडाई झगडे पर आमादा हुआ। अतः प्रतिवादी सं. 1 अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादी अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को वापिस कब्जा दिलाया जावे और प्रतिवादी सं. 2 को वादग्रस्त आराजी का वादी को कब्जा सौपने के लिए निर्देशित किया जावे।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि नियमानुसार वादी का अनुतोष दिया जावे तो पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषक वादी एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल मे खाता संख्या 181 का खसरा नम्बर 682 रकबा 1.4923 हैक्टेयर भूमि प्रदर्श–1 व प्रदर्श–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी तन्हा खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक है। वादी द्वारा पेश ग्राम सांगरिया की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 181 की गिरदावरी प्रदर्श 2 के अनुसार वादी द्वारा खरीफ में सोयाबीन व उडद तथा रवी में चना व धनिया की फसल काश्त किया जाना अंकित है। अतः साबित है कि वादग्रस्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं करना था जिससे प्रतिवादी सं. 1 का वादग्रस्त आराजी में वादी की भूमि पर अतिक्रमी होना जाहिर होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested

7. वादी द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह पीडब्ल्यू 2 व दशरथ सिंह पि. अभयसिंह व गोपासिंह पि. मोहनसिंह द्वारा समर्थन किया गया है



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कि वादी की ग्राम सांगरिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 682 रकबा 1.4823 है. भूमि है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और वादी ने प्रतिवादी को कब्जा छोड़ने की कही तो दिनांक 24.12.2021 को मना कर दिया व वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया। वादी पीडब्ल्यू 1 ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक है और खसरा गिरदावरी अनुसार खरीफ में सोयाबीन व उडद तथा रबी में चना व धनिया की फसल कांश्त किया जाना जाहिर होता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादी की भूमि पर कब्जे की कानूनी वैधता (lawful authority) संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त आराजी में वादी की भूमि पर अतिक्रमी साबित है और अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। वादी के अनुसार वाद का कारण हेतुक दिनांक 24.12.2021 को उत्पन्न हुआ है अर्थात प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2024 से वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा किया है।. यहां धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

**<u>183. Ejectment of certain trespasser</u>**— (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है और कब्जा काश्तरत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर प्रतिवादीगण बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) कब्जा करना चाह रहे है। अतः प्रतिवादी अतिक्रमी है। प्रतिवादी के जबरन कब्जा करने के प्रयास से वादी को क्षति होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है। प्रतिवादी को वादी के खाते व कब्जे की आराजी में जबरन कब्जा करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर पक्षकारो के मध्य लडाई झगडा एवं वाद बहुलता भी बढेगी। प्रतिवादी के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादी अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकरं दखल नहीं देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने योग्य है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

**<u>188. Injunction against wrongful ejectment—</u>**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल मे खाता स[illegible] का खसरा नम्बर 682 रकबा 1.4923 हैक्टेयर के [illegible] वादी का वा[illegible] 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

--::क्रियात्मक आदेश::--

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सांगरिया की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल मे खाता संख्या 181 का खसरा नम्बर 682 रकबा 1.4923 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/7/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2022 दायर दिनांक: 01.02.2022

उनवान

1. तोफानसिंह पि. मांगुसिंह जाति राजपूत नि. सांगरिया तहसील सुनेल

———वादी

बनाम

1. रोडुलाल पि. भागीरथ जाति गुर्जर नि. सांगरिया तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

———प्रतिवादीगण

दावा धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—

अभिभाषक वादी :— श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादीगण :— एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

ग्राम सांगरिया की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील सुनेल मे खाता संख्या 181 का खसरा नम्बर 682 रकबा 1.4923 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner

निज .....X..... मुवालिक .....X..... बावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वपारह .....
.X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X.....अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 01.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बावत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बावत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner